राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2027 / 2023

पंकज शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव सह आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 04.08.2023 को चुनौती दी है। जिसके द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय कोटकासिम से बदलकर पंयायत समिति कठूमर किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा स्थानांतरण पर पाबन्दी लगाई गई है। ऐसे में अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तित करना उचित नहीं है।
2. अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित होने के कारण निलम्बित किया गया था एवं उनका मुख्यालय पंचायत समिति कोटकासिम अलवर किया गया था। आलौच्य आदेश दिनांक 04.08.2023 में अपीलार्थी जो वर्तमान में निलम्बित है, उसका केवल मुख्यालय बदला गया है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध का आदेश अपीलार्थी पर लागू नहीं किया जा सकता, क्यों कि अपीलार्थी वर्तमान में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा है एवं वह निलम्बित है। अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तित किये जाने के आदेश जिला प्रशासन समिति की बैठक के बाद जारी किये गये हैं। उक्त आदेश प्रशासनिक दृष्टि से पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
3. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)